

[राजस्थान जन सतर्कता समिति के तत्वाधान में 'अधिवक्ता, जनता, पुलिस समन्वय सम्मेलन' में दिनांक 29.04.2006 को दिया गया मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री रमेशचन्द्र लाहोटी, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, भारत का वक्तव्य]

मेरे मित्र और सुविज्ञ न्यायमूर्ति श्री शिव कुमारजी शर्मा, जन सतर्कता समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री प्रताप भानूजी, पुलिस महकमे में एक नवज्योति प्रज्ज्वलित करने वाले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गिल साहब, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री सुभाषजी, मंच पर आसीन जन सतर्कता आंदोलन को नेतृत्व दे रहे सभी महानुभाव, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारीगण, संभ्रात नागरिक, देवियों, सज्जनवृंद तथा मीडिया के मित्रों।

मुझे इस सम्मलेन और संगोष्ठी को देख कर बहुत प्रसन्नता हो रही है। उच्च न्यायालय में वर्तमान में पदासीन न्यायमूर्ति श्री गोयल और श्री दलीप सेन आज हमारे साथ यहां उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि इस प्रदेश की न्यायपालिका भी जन सतर्कता आंदोलन के प्रति उतनी ही उत्सुक और उतनी ही रुचि लेती है जितनी कि हम में से कोई और। निवर्तमान न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रनाथ जी भार्गव, श्री मिलाप चंद जी जैन तथा श्री जी. एल गुप्ता, ये सब भी उपस्थित हैं। ये वे न्यायधीशगण हैं जिन्होंने इस देश की सेवा की है। किन्तु निवर्तमान होकर भी उनकी वर्तमान में उपस्थिति इस बात का संदेश देती है कि *though we are retired but we are not tired*. हम आज भी आपके साथ हैं और यदि कोई जनोपयोगी आंदोलन आप करेंगे तो उसमें हम भी अपना सहयोग देंगे।

मैं सोचता हूं कि जिन समस्याओं की चर्चा करने के लिए आज हम यहां एकत्रित हुए हैं उसमें चर्चा करने के लिए कुछ शेष रहता ही नहीं है। इसलिए नहीं रहता कि जिसमें सात हजार अभिभाषकों का प्रतिनिधित्व करने वाला अभिभाषक संघ, उसको नेतृत्व देने वाले अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी इस देश की एक सौ चार करोड़ जनता की प्रतीक जयपुर की जनता, उसके प्रतिनिधि श्री भानू प्रताप खंडेलवालजी और इस देश का

सबसे बड़ा सुगठित सशस्त्र बल उसके प्रतिनिधि के रूप में श्री ए. एस. गिल आज यहां उपस्थित हैं। और, हम सबका चिंतन एक ही दिशा में है। इस देश के नागरिकों के समक्ष जो चिन्ता ग्रस्त कर देने वाली समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं, उनके समाधान के लिए पुलिस, जनता, अभिभाषक, न्यायाधीश एकजुट होकर चिन्तन कर रहे हैं तो करने और कहने के लिए कुछ शेष बचता ही नहीं है।

मैं आपको एक आंतरिक बात बताता हूं। श्री खंडेलवालजी ने मुझे जन सतर्कता समिति के विषय में एक पत्र लिखा। उनकी अपेक्षा थी कि पत्र मुझे मिल गया होगा पर पत्र मिला नहीं था। एक प्रातः काल उनका मेरे पास फोन आया। आयु का प्रभाव उनकी वाणी पर है। मुझे उनकी बात समझने में कुछ कठिनाई हुई। सच बात तो यह है, और आज मैं सार्वजनिक रूप से उनसे क्षमा प्रार्थना करता हूं कि मैंने उस दिन कटु भाषा का प्रयोग उनसे किया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि कौन सज्जन बोल रहे हैं और क्या मुझसे चाहते हैं। उस चर्चा के बाद दूसरे दिन उनका पत्र मुझे मिला और तब मुझे समझ आया कि पिछले दिन जिनसे मैंने चर्चा की थी वे इस देश की सेवा के लिए समर्पित एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और 84 वर्ष की आयु में भी जन आंदोलन अपनी पूरी शक्ति के साथ जारी रखे हुए हैं। मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। मुझे विदित है कि इन लोगों ने इस देश की किस तरह सेवा की है। इन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि देश हमारे लिए क्या कर सकता है। उनका चिन्तन सदैव यह रहा कि हम इस देश के लिए क्या कर सकते हैं और यदि देश के लिए हमें अपना जीवन भी होम करना पड़े तो हम कर सकते हैं। ऐसी सशक्त जन सतर्कता समिति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होगी मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा श्री गिल से यहीं संपर्क हुआ। उनसे मिल कर और अनेक विषय में जान कर मैंने इस बात का अनुभव किया कि राजस्थान की पुलिस देश की अन्य स्थानों की पुलिस से एक अपवाद है।

जन आंदोलन और प्रशासन में आधारभूत अन्तर होता है। जन आंदोलन नीचे से शुरू होकर Tपर तक जाता है। किन्तु प्रशासन के सुधार की प्रक्रिया उर्ध्वगामी होती है। Tपर से शुरू होती है और तब नीचे तक जाती है। हम यह अपेक्षा करें कि कांस्टेबल तो सुधर जाए और Tपर के अधिकारी जैसे हैं वैसे ही रहें तो सुधार की अपेक्षा करना व्यर्थ है। आज हमारे सामने पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विभाग के एक ऐसे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं जिन्होंने ये निश्चय किया है कि सबसे पहले मैं स्वयं को बदलूंगा और मेरे बदलने के बाद मैं उस व्यवस्था को बदलूंगा जिसका नेतृत्व मैं कर रहा हूं। यदि इस विचारधारा का विस्तार अन्य सेवाओं में हो जाए तो हमारा देश आज कुछ और ही होगा।

किसी भी दिन का समाचार पत्र देखिए उसमें अपराध, अत्याचार, अनाचरण की अनगिनत कहानियां छपी होती हैं। और, सर्वोपरि होती हैं शासन और शासन के विभिन्न विभागों की उनके प्रति उपेक्षा। जिनकी जिम्मेदारी है कि इन घटनाओं को घटित न होने दें और यदि ये घटनाएं घटित हो गई हों तो उनका तुरंत उनका समाधान सोचें, वे ही इन घटनाओं के प्रति सर्वदा उदासीन रहते हैं। मैंने कई बुजुर्गों से चर्चा की है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद होते हुए देखा है वे लोग ही अब यह कहने लगे हैं कि इससे अच्छे तो हम अंग्रज़ों के ज़माने में थे। हमारे बुजुर्गों का यह सब कहना हमारे लिए यह कोई अनुकूल बात नहीं है।

सामाजिक प्रतिष्ठा के मानदंड बदल गए हैं। जो लोग फेरा (FERA) के अपराधी हैं उनके लिए फेरे भी रोक दिए जाते हैं, उनके आने तक के लिए। आज हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का मानदंड है— *My capacity to twist the arm of law and yet escape unpunished, is the measure of my status in this society.* कानून का उल्लंघन करने के और कानून की बांह मरोड़ने के बाद भी मैं कितना और कितनी शान से बचा रह सकता हूं यही मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा की कसौटी है। दुर्भाग्य यह है कि

यद्यपि हम इस बात को जानते हैं कुछ लोगों ने अनीति पूर्वक धन का अर्जन किया है फिर भी उनका हम सम्मान करते हैं, उन्हें प्रतिष्ठा देते हैं। हमारी सामाजिक सोच दूषित हो गयी है।

दूसरी बात, शासकीय उपेक्षा। जिन्हें सुनना चाहिए वे सुनते नहीं। चलिए, इससे भी हम समझौता कर लेते हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बागड़ ही खेत को खा रही है। जिनकी जिम्मेदारी है इस देश की रक्षा करना, वे ही इस देश की प्रगति, इस देश की सुरक्षा के साथ कभी-कभी सौदा करते हुए देखे जाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी बेशकीमती आज़ादी हमें किस तरह मिली है, किस कीमत पर मिली है या तो इसकी समझ उनको नहीं है और यदि है भी तो फिर वे जानबूझ कर अनजान बने रहना चाहते हैं।

एक शायर ने इस बात को बड़े सुन्दर तरीके से कहा है कि—

‘आज वे काबिल हुए जो कल किसी काबिल न थे,
मंजिलें उनको मिलीं जो दौड़ में शामिल न थे।’

जिन्होंने इस देश की आज़ादी में योगदान नहीं दिया, आज़ादी कैसे मिलती है इसका दर्द कभी सहा नहीं, देखा नहीं। वे ही आज़ादी का फायदा सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं। वे सोचते हैं कि कदाचित इस देश की आज़ादी हमारी बपौती या हमारी जागीर है। और इससे अच्छी अभिव्यक्ति तो हो ही नहीं सकती कि कुछ लोग इसे पापड़ की तरह खा रहे हैं। भाई शिव कुमारजी ने अभी यह बात कही कि पापड़ को कहीं से भी खाया जा सकता है, बड़ा स्वाद आता है। ये तो ठीक है। किन्तु एक बात है कि पापड़ खाते समय आवाज़ आती है। कभी-कभी हम यह सोचने को विवश हो जाते हैं। इस देश की जनता और इस देश का नेतृत्व अपने कानों में उंगली डालकर बैठा है। कुछ लोग पापड़ खा रहे हैं और कुछ लोग पापड़ टूटने की आवाज़ सुनने को तैयार ही नहीं है, सुनना ही नहीं चाहते। उनकी दृष्टि में आज़ाद भारत की जनता केवल पापड़ है।

तीसरी बात, हमारी संवेदनशीलता शून्य हो गई है। हम अपने भाई-बहनों के साथ अत्याचार होते हुए देखते हैं हमारी प्रतिक्रिया केवल इतनी होती है कि समाचार पत्र चाय की चुस्कियों के साथ पढ़ा और बंद कर रख दिया। रिश्वत को सुविधा शुल्क कहा जाता है। दादागिरी को तिकड़म और अनुचित प्रयास को सिर्फ कोशिश। मेरा बच्चा परीक्षा में बैठा, फेल हो गया। पढ़ता-लिखता नहीं। मौज मस्ती की ज़िन्दगी बिताता है। यदि मैं प्रयास करके उसके परीक्षक से मिलकर उसको अच्छे नम्बर दिलवा दूं तो मैं मित्रों के बीच में यह कहता हूं कि बच्चे पास तो हो जाते हैं केवल थोड़ी 'कोशिश' करनी पड़ती है। हम आमतौर पर कहने लगे हैं कि— 'लेकर रिश्वत फंस गया है, देकर रिश्वत छूट जा।' कोई अन्तर नहीं पड़ता। कुछ लोग फंस जाते हैं क्योंकि ईश्वरीय न्याय तो होता ही है। बहुत गहन बीमार हो गए। इलाज करवाना पड़ता है। बहुत पैसा खर्च होता है। या कभी मुकद्दमें में फंस गए। जेल हो गई। अपील पर अपील। काफी पैसा लगता है। तब मैंने कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना है कि देखो यदि मैंने यह पैसा न कमाया होता तो आज आड़े वक्त पर काम कैसे आता। वे भूल जाते हैं कि यदि उन्होंने उस तरीके से यह पैसा न कमाया होता तो यह आड़ा वक्त आज आता ही नहीं। ये तो हुए कारण। उपाय भी हैं।

सबसे पहली बात तो यह कि हम निराशा का वातावरण न बनने दें। ये नहीं समझें कि जो कुछ हो रहा है ये तो होता ही रहता है और होता ही रहेगा, हम क्या कर सकते हैं? किसी भी समस्या के समाधान में साधनों का अभाव कभी रुकावट पैदा नहीं करता। किन्तु हमारी निराशाजनक मनोस्थिति सबसे बड़ी रुकावट है। कहा है कि—

‘उबरने ही नहीं देती हमें बेमायगी दिल की,
वरना कौन ज़रूर है जो दरिया हो नहीं सकता।’

हममें से प्रत्येक में समस्याओं का समाधान कर सकने की क्षमता है। किन्तु, संघर्ष करना होगा। समस्याएं पहले भी थीं, आज भी हैं। हम अपनी पौराणिक गाथाएं पढ़ते

हैं। रामायण, महाभारत आदि अनेक प्राचीन गाथाएं पढ़ते हैं। अत्याचार, अनाचार और अन्याय तब भी थे, आज भी हैं। हां, अनुपात भिन्न हो सकता है। और, ऐसा भी नहीं है कि ये समस्याएं केवल हमारे देश में हों और अन्यत्र कहीं न हों। समस्याएं सब देशों में होती हैं। अन्तर उन देशों में, उस समय में और आज में यह है कि उस समय में और उन देशों में समस्याओं के समाधान के लिए निरन्तर प्रयास किया गया, किया जाता है। हमारे देश में समस्याओं के समाधान के लिए न तो विशिष्ट केन्द्रित चिन्तन होता है, न ही ठोस प्रयास होता है।

आज का दिन बहुत शुभ है। यह आयोजन इस बात का संकेत है कि निराशा को बढ़ावा देने के लिए कोई कारण नहीं है।

मैं एक विद्यालय में गया था। उस विद्यालय में बच्चों से बातचीत कर रहा था। उस दिन कोई अप्रिय घटना घटी थी। उसके कारण मायूसी का साया उस कार्यक्रम पर दृष्टिगोचर हो रहा था। मैंने बच्चों से एक प्रश्न पूछा कि— आज जैसी घटना घटित हुई है, वैसी घटित होती रहती हैं। समस्याएं हमारे सामने बहुत हैं। समाधान भी हैं। पर, ये समाधान कौन खोजेगा? बच्चों ने अपनी-अपनी बुद्धि से अपनी-अपनी बात कही। किसी ने कहा शासन इसका समाधान करेगा। किसी ने कहा हमारे राष्ट्रपति के पास हर समस्या का समाधान है। कोई बोला न्यायपालिका हर समस्या का समाधान कर सकती है, इसका भी करेगी। मैंने बच्चों से पूछा— आप उन दो व्यक्तियों के नाम बताइये जिनके पास इस देश की हर समस्या का समाधान हैं? बच्चे सोचने लगे। उनमें से एक बालिका खड़ी होकर बोली— मैं उत्तर दूँ। मैंने कहा— ज़रूर, मैंने तो प्रश्न ही आप लोगों से किया है। कहने लगी— 'वे दो व्यक्ति हैं— एक आप और एक मैं।' मैं उसका उत्तर सुनकर हतप्रभ रह गया।

यदि आप और मैं— दोनों इस बात का निश्चय कर लें कि समस्या को समस्या नहीं रहने देंगे, इसका समाधान खोज कर लाएंगे तो समाधान कठिन नहीं हैं। कुछ

समस्याएं हमें पहाड़ की तरह लगती हैं तथा कुछ समस्याएं आसमान की तरह दीखती हैं। इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। किसी ने कहा है कि—

‘कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता
एक पत्थर तो ज़रा तबियत से उछालो यारों’

एक संकल्प चाहिए, भुजाओं में शक्ति चाहिए। एक पत्थर को इस प्रकार उछालो कि आसमान में छेद हो जाए।

भारत के संविधान के आलेख में मुझे बहुत अच्छे सूत्र मिलते हैं। किसी विद्वान ने कहा है कि— ‘हमारा देश आज़ाद तो हो चुका है किन्तु आज़ादी की लड़ाई लड़ना अभी बाकी है।’ केवल विदेशी शासन से मुक्त हो जाना आज़ादी नहीं है इस देश को आज़ादी तब मिलेगी जब इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक न्याय मिलेगा। यदि इस बात को हम सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लें कि एक लड़ाई तो हमारी ख़त्म हो गई है किन्तु दूसरी लड़ाई करनी अभी बाकी है तो समस्या के समाधान के सूत्र भी हमें मिलने लगेंगे। कोई सुभाषचन्द्र बोस चाहिए जो एक बार फिर आज़ाद हिन्द फौज का गठन करे। हमें फिर चन्द्रशेखर और भगत सिंह चाहिए जो फांसी पर झूलने को तैयार हों और इस देश की सच्ची आज़ादी के लिए अपना जीवन होम करने को तत्पर हों। हमें महात्मा गांधी भी चाहिए जो अपना अहिंसात्मक आंदोलन फिर जारी करें। यदि ये तीन तरफ़ा प्रहार विदेशी शासन पर नहीं होता तो हमारा देश आज़ाद नहीं हो सकता था। आज इस देश के आज़ाद होने के बाद भी हमें उसी तरह की लड़ाई लड़नी बाकी है ताकि इस देश का नागरिक जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनका समाधान हो सके।

भानूप्रतापजी का ज़िक्र होता है, अभिभाषक संघ के कुछ सदस्यों का, कुछ न्यायधीशों का ज़िक्र होता है। इक्का-दुक्का लोग हैं जो कुछ काम कर रहे हैं। मैं एक बार पूना

में दादा वासवानीजी के आश्रम में गया। वे एक सच्चे संत हैं। मुझे उनका दर्शन करके आत्मिक, नैसर्गिक आनंद की अनुभूति होती है। उन्होंने मुझे अपना कुछ साहित्य पढ़ने के लिए दिया। कुछ देर वार्तालाप भी हुआ। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा— ‘संसार में और विशेषकर हमारे देश में समस्याएं बहुत हैं, समाधान कैसे होगा।’ वे बोले— ‘आप जैसे लोग करेंगे।’ मैं उनकी बात काटना तो नहीं चाहता था पर मैंने कहा— ‘दादा, आप ठीक कहते हैं। इस देश में कुछ लोग हैं। पर ये इक्के-दुक्के लोग ऐसे हैं कि जैसे कहीं सूखा पड़ा हो और वहीं कहीं-कहीं गड्ढों में पानी भरा हो। ये कुछ गड्ढे सूखा तो नहीं मिटा सकते।’ वे मुस्कराए और बोले— ‘अलग-अलग गड्ढों में पानी भरा होना अच्छी बात है।। एक दिन जब ये सारे गड्ढे भर जाएंगे तो इनका पानी एक दूसरे से मिल जाएगा और तालाब का रूप ले लेगा।’ हमारे प्रयास ऐसे ही प्रयास हैं। हम सबको भ्रष्टाचार, अन्याय और अनाचार के प्रति zero tolerance की मनःस्थिति बनानी पड़ेगी। हममें से प्रत्येक को ये संकल्प लेना होगा कि न तो हम भ्रष्टाचार करेंगे और न भ्रष्टाचार होने देंगे। या फिर हम में से प्रत्येक इतना ही संकल्प कर ले कि यदि भ्रष्टाचार कहीं होता है तो होता रहे पर मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। उसमें भी एक संशोधन हो सकता है। एक तीसरा विकल्प। भ्रष्टाचार दो तरह से होता है— एक, लेकर। और दूसरा, देकर। ठीक है देना पड़े तो दे दूंगा पर लूंगा नहीं। यदि इतना भी हम संकल्प लें तो आप यकीन मानिए देश में भ्रष्टाचार कभी हो नहीं सकता। मुझे श्रीशिव खेड़ा की एक बात याद आती है कि कोई भी देश चोर उच्चकों की करतूतों से बरबाद नहीं होता है; इस देश को बर्बाद को करने वाले वे लोग हैं जो अपने आपको शरीफ कहते हैं मगर डरपोक और निक्कमें होते हैं। हमें साहसी होना होगा। हमें संकल्पित होना होगा। हमें अपने समाज के आगे एक उदाहरण बनना होगा।

हम डायरेक्ट एक्शन, सीधी कार्यवाही करने की बात भी सोच सकते हैं। यह बहुत प्रभावी तरीका है। अचूक है। सीधी कार्यवाही का अर्थ यह नहीं है कि यदि किसी ने अन्याय या अनाचार किया है तो हम उस पर सीधा प्रहार कर दें। शारीरिक चोट पहुंचाने से भी बड़ा एक हथियार है कि उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जिन

लोगों ने अनीति पूर्वक धन का अर्जन किया है, जिस व्यक्ति ने शासकीय सेवा में रहकर भ्रष्टाचार के माध्यम से धन का अर्जन किया है उसने कितना भी बड़ा बंगला या कोठी बनायी हो, जिस दिन उसके घर पर कोई कार्यक्रम होगा आप निश्चय कीजिए कि आप उसके घर पर नहीं जाएंगे। आप निश्चय कीजिए कि ऐसे व्यक्ति को अपने सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रम में आप निमंत्रण नहीं देंगे। यदि इतना छोटा सा निश्चय भी आप कर सकते हैं उसका परिणाम मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं देख सकते हैं। चौथी बात, हमें अपने आदर्शों को पुनःस्थापित और पुनःजाग्रत करना होगा। आज पश्चिमीकरण और उपभोक्तावाद की दौड़ मची है। जो लोग दूरदर्शन देखते हैं वे मेरी इस बात से सहमत होंगे और उन्हें इस बात का अहसास भी होगा कि हम आज किस दिशा में आंख मूंद कर दौड़े चले जा रहे हैं। हमारे अपने नैतिक मूल्यों को पुनःजीवित करने की आवश्यकता है।

संसार में अनेक धर्म हैं, अनेक धार्मिक व्यक्ति हैं। सभी के अपने-अपने विश्वास हैं, अपनी-अपनी मान्यताएं हैं। धरती पर अनेक स्थान ऐसे हैं जहां ईश्वर ने कहीं अपना प्रतिनिधि भेजा, कहीं अपना पुत्र भेजा और कहीं देवदूत भेजा। केवल भारतवर्ष की धरती ऐसी है जहां ईश्वर स्वयं अवतरित हुए हैं। ईश्वर भारतवर्ष की धरती छोड़कर अन्यत्र कहीं स्वयं नहीं गए। हमें परमेश्वर के प्रति संपूर्ण आस्था होनी चाहिए। हमारे पौराणिक-वैदिक साहित्य में जिन मूल्यों और जिन आदर्शों की चर्चा है उन्हें स्वयं समझना चाहिए और अपने परिवार के सदस्यों और विशेषकर अपनी नयी पीढ़ी को समझाना चाहिए।

एक छोटी सी कहानी सुनाकर आपसे अनुमति लूंगा। एक शहर में एक ठेकदार था जो भवन निर्माण का कार्य करता था। उसके पास एक कुशल कारीगर था। जितने भी भवन उसने निर्मित किए थे उनमें उस कुशल कारीगर का योगदान था। उस कारीगर की उम्र 60 वर्ष की होने पर उसने ठेकदार से कहा — 'मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है। मेरे परिवार में मेरे पुत्र-पौत्र सभी आपकी कृपा से योग्य हैं। अब मुझे धन

अर्जन की आवश्यकता नहीं है। शरीर भी थक रहा है। कृपा करके अब आप मुझे सक्रिय सेवा से अवकाश दे दीजिए।' वह ठेकेदार उस कारीगर से बहुत स्नेह करता था। उस कारीगर पर वह बहुत विश्वास भी करता था। कुशल कारीगर की बात सुनकर दुःख तो हुआ पर उसने उस कारीगर से कहा— 'कोई बात नहीं। शायद आपका और मेरा साथ इतना ही था। किन्तु आप जाने से पहले एक उपकार कर दीजिए। एक भवन का निर्माण और कर दीजिए। फिर आप जा सकते हो, मैं आपको रोकूंगा नहीं।'

उस कारीगर ने नये भवन का निर्माण कार्य आरंभ किया किन्तु अब उसका मन काम में नहीं लग रहा था क्योंकि उसने निश्चय कर लिया था कि अब तो उसे काम करना ही नहीं है। सीमेंट लगाता था उसमें उतनी सफाई नहीं थी जितनी पहले थी। ईंट पर ईंट रखता था पर वह तिरछी होती थी। उसकी कला, उसकी कुशलता जैसे कहीं खो गई थी। जो भी हो एक वर्ष का समय उस भवन के निर्माण में लगा। एक वर्ष पश्चात् वह ठेकेदार के पास गया कहा— 'मैंने अपना काम कर दिया है। आप चलिए और मकान देख लीजिए।' ठेकेदार मकान के अन्दर गया। पूरा मकान घूमकर देखा। सारी बात उसकी समझ में आ गई। ठेकेदार प्रवेश द्वार पर लौट कर आया और ताला लगा कर चाबी उस कारीगर को देते हुए बोला— 'आपने जीवन भर मेरी सेवा की। अब आप मुझे छोड़ कर जा रहे हैं। यह मेरा आपके लिए अन्तिम उपहार है।' कारीगर का मस्तक शर्म से झुक गया। यदि उस कारीगर ने यह सोचा होता कि जिस मकान का निर्माण वह कर रहा है उस में उसी को रहना होगा तो वह अधिक कुशलता के साथ काम करता। अधिक अच्छा मकान बनाता। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। हम सब उसी कारीगर के समान हैं। जन्म लेकर हम इस पृथ्वी पर अनेक काम करते हैं किन्तु भूल जाते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह हम अपने लिए कर रहे हैं। हम जैसी दुनिया बनाएंगे उसी में हम रहेंगे। और हम न भी रहें तो इसमें हम अपने बच्चों को रहने के लिए छोड़ जाएंगे। यदि केवल इस दृष्टिकोण से हम देखें, सोचें तो कदाचित इस संसार में हमारे कर्तव्यों का संपादन उस प्रकार नहीं होगा जिस प्रकार करने के हम आदी हो चुके हैं। हमारी क्षमता पहले से बेहतर होगी। हमारी गुणवत्ता श्रेष्ठ होगी। हम

जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। हम क्या करें? क्या हमारी छोटी-छोटी कोशिशें बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं?

जंगल में आग लगी। भयंकर आग। सूखे पेड़ तो क्या हरे पेड़ भी जलने लगे। एक गोरेया—नन्हीं सी चिड़िया, जो एक पेड़ पर घोंसला बना कर रहती थी, उसने भी आग देखी। सोचा मैं क्या कर सकती हूँ। वह उस पेड़ पर बैठी नहीं रही। उड़ी। उसने अपनी दृष्टि दौड़ाई और देखा कि जंगल में दूर एक झील थी। वहां गई। झील के पानी में अपनी चोंच डुबाई। पानी भरा। उड़ती हुई जंगल में लौटी और चोंच का पानी आग पर डाल दिया। उसने इस क्रिया को कई बार दोहराया। एक कौवा उसकी यह क्रिया देख रहा था। वह हंसा। उसने उस गोरेया से पूछा— ‘बहन, क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारी एक चोंच भर पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी?’ चिड़िया ने कहा— ‘मैं जानती हूँ कि मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझ पाएगी किन्तु मैं चाहती हूँ कि इस जंगल की आग बुझाने में मेरा जितना योगदान हो सकता है वो मैं दूँ। दूसरी बात यह कि मेरा यह प्रयास इस बात का उद्घोष है कि आग लगने की ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। तीसरी बात, कि जब भी कभी इस जंगल और इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह भी लिखा जाएगा कि एक गोरेया थी जो आग देख कर निष्क्रिय नहीं रही उसने भी अपनी चोंच में पानी भर कर इस जंगल की आग को बुझाने का प्रयास किया था।’

हम समस्याओं के समाधान में सफल हो या न हों, पर यह ज़रूरी है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं करें ज़रूर। हताश और निराश होकर बैठे न रहें। जिस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। मध्यप्रदेश के एक कवि हुए हैं श्रीकृष्णजी सरल। उन्होंने क्रांतिकारियों पर बहुत साहित्य लिखा है। उन्हीं ने उस समय एक कविता लिखी थी। लिखा कि—

‘आज जबकि देश सारा लाम पर है, जो जहां है वो वहां बस काम पर है’

सैनिक सीमा पर खड़ा होकर युद्ध लड़ता है। लेकिन युद्ध के समय सभी नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि जो भी उसका अपना कर्तव्य है उसका निष्ठा के साथ संपादन करे। उसका अपने कर्तव्य का संपादन ही युद्ध को लड़ने में उसका योगदान है।

मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया और धैर्य पूर्वक सुना। मैं ईश्वर के प्रति अनन्य आस्था रखने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी प्रत्येक समस्या का समाधान पूजन में है। जब हम पूजन करते हैं तो हमें पूजन करने के लिए गंगाजल चाहिए, तुलसीदल चाहिए और आराधना करने की मनःस्थिति भी चाहिए। ये गंगाजल, तुलसीदल तथा आराधना हमारे देश की समस्याओं के समाधान में हमारे चिन्तन और हमारे कृतित्व की प्रतीक ये चार पंक्तियां हो सकती हैं। एक कवि हुए हैं गोपीनाथजी केशरवाणी। 1993 में कल्याण पत्रिका में उन्होंने ये पंक्तियां लिखी थीं जो मुझे बहुत अच्छी लगीं। उन्होंने लिखा है कि—

‘पर पीड़ा से छलक उठे मन, यह छलकन ही गंगाजल है
दुःख हरने को पुलक उठे मन, यह पुलकन ही तुलसीदल है
जो अभाव में भाव भर सके, वाणी में रसधार झर सके
जन हिताय अर्पित जो जीवन, वह जीवन ही आराधन है।’

////////////////////